

>

Title: Regarding notices of Motion for Adjournment to discuss the recent increase in prices of petroleum products, resulting in rise in prices of essential commodities, thereby affecting the common man in the country.

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): Madam, we have given notice. Kindly allow us to speak on why we are asking for an Adjournment Motion.

अध्यक्ष महोदया : रघुवंश प्रसाद सिंह जी, आप बैठ जाइये। आप अपना स्थान ग्रहण कर लीजिये।

â€!(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record.

(Interruptions) â€!\*

MADAM SPEAKER: I have received notices for Adjournment Motion. I would like those who have given the notices or their leaders to tell me briefly why it should be allowed. But before that, would you allow me to run the Question Hour?

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ (VIDISHA): No, Madam.

अध्यक्ष महोदया, एडजर्नमेंट मोशन का मतलब होता है कि 'House do adjourn' इसका हिन्दी में रूपान्तर है - कामरेको प्रस्ताव। इसका मतलब है कि आज की कार्य सूची में जो काम लगा हुआ है, उसे रोक कर पहले इस प्रस्ताव पर चर्चा की जाये। इसलिये प्रश्नकाल से पहले आप हमें सुनिये कि हमने एडजर्नमेंट मोशन क्यों दिया है, हम एडजर्नमेंट मोशन के तहत यह चर्चा क्यों चाहते हैं और उसके बाद रूलिंग दीजिये। प्रश्नकाल तब तक नहीं चलेगा जब तक हमारे मोशन का निराकरण नहीं होगा।

संसदीय कार्य मंत्री और जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): अध्यक्ष महोदया, माननीया नेता विपक्ष ने जो कहा है, मैं समझता हूँ कि यह बात परज्यूम करके कह रही हैं कि आपने एडजर्नमेंट मोशन मान लिया है। वह उस वक्त होता है जब एडजर्नमेंट मोशन मान लिया जाता है, उतनी देर तक हाऊस नहीं चलता।...(व्यवधान) स्पीकर साहिबा ने जो यह कहा है कि ववैश्न ऑवर के बाद आप की यह बात सुन लेंगे कि क्या आपने जो एडजर्नमेंट मोशन दिया है, उसे मानना है या नहीं...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज : संसदीय कार्य मंत्री जी, प्रश्नकाल तो नहीं चलेगा।

श्री पवन कुमार बंसल : प्रश्नकाल नहीं चलेगा तो वह अलग बात है। अगर विपक्ष के नेता सुनते लेकिन अगर विपक्ष के नेता यह कहते हैं कि हाऊस नहीं चलेगा तो इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है, मेरे पास इसके लिये कोई जवाब नहीं है अगर यह कहा जा रहा है। यह सदन में विपक्ष के नेता से आना और कहना कि ववैश्न ऑवर नहीं चलेगा, यह क्या बात हुई?...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Hon. Members, please take your seat.

जो अरेजमेंट ऑफ बिजनेस है उस के तहत, नेता प्रतिपक्ष जानती हैं यह प्रश्नकाल के बाद आता है लेकिन आज विशेष परिस्थिति के कारण मैं इसके लिये अनुमति दे रही हूँ। आप कृपया अपनी बात प्रारम्भ करें।

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): अध्यक्ष महोदया, सब से पहले तो मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि विशेष परिस्थिति में आपने हमें इस बात के लिये अनुमति दी है कि हमने यह एडजर्नमेंट मोशन का नोटिस क्यों दिया और हम लोग एडजर्नमेंट मोशन के तहत केवल इस नोटिस पर चर्चा क्यों चाहते हैं?

हम यह चर्चा क्यों चाहते हैं, इस पर हम अपनी बात रखें।

महोदया, जो नोटिस मैंने आपको दिया है, उसमें हमने दो विषय केरोसिन और रसोई गैस में वृद्धि के उठाये हैं। आप जानती हैं कि केरोसिन और रसोई गैस में वृद्धि से गरीब का चूल्हा और चिराग बंद हो रहा है। ये दो ही विषय मैंने क्यों उठाये, क्योंकि पिछली बार जब हमने कार्य स्थगन का नोटिस दिया था, तब आपने यह कहकर उसे स्वारिज किया था कि मंहगाई एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है और कार्य स्थगन का नोटिस केवल उस विषय पर लिया जा सकता है जो हाल ही की घटना हो। उसमें रिसेंट अर्केस शब्द है। आपने कहा था कि चूँकि यह रिसेंट अर्केस नहीं है, यह लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, इसलिए मैं इस नोटिस का स्वीकार नहीं कर सकती हूँ। हम उस तर्क से सहमत तो नहीं थे, लेकिन चूँकि स्पीकर की रूलिंग थी, उसका सम्मान करते हुए तब हमने 193 में चर्चा मान ली थी। इस बार मैंने ये दोनों विषय उठाये हैं, जो हाल ही के हैं। केरोसिन और रसोई गैस पर पहले कभी वृद्धि नहीं हुई। अब तीन रुपये प्रति लीटर की दर से केरोसिन और 35 रुपये प्रति सिलेंडर मंहगा किया गया है। जैसा कि संजय जी ने कहा, इसका क्या दुष्परिणाम होगा।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइये।

वेदः।(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइये।

वेदः।(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : संजय निरूपम जी बैठ जाइये।

वेदः।(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : जगदम्बिका पाल जी आप भी बैठ जाइये।

वेदः।(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज : महोदया, इस वृद्धि का क्या दुष्परिणाम होगा, इसकी चर्चा में चर्चा के समय करूंगी।...।(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइये। इन्हें बोल लेने दीजिए। आप बोलिये।

वेदः।(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइये।

वेदः।(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : जगदम्बिका पाल जी आप बैठ जाइये। आप बोलिये।

वेदः।(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज : महोदया, इस वृद्धि का दुष्परिणाम गृहणी और गरीब पर क्या होगा, इसकी चर्चा में तब करूंगी, जब आप हमारा मोशन स्वीकार कर लेंगी। संजय जी ने कहा है कि मैं केवल नोटिस पर बोलूँ, मैं अपनी बात केवल नोटिस तक सीमित रखना चाहती हूँ, रसोई गैस और केरोसिन की बात करके मैंने नोटिस को बिल्कुल नियमों के अनुरूप बनाया है, जो नियम की वांछनीयता है, अनिवार्यता है जिसे बिल्कुल सौ फीसदी कहते हैं, नोटिस वैसा बना है, जिसे आपको स्वीकार करना ही चाहिए। सरकार की तरफ से यह कहा जा रहा है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, मगर नियम 193 में चर्चा कर लें। हम मतदान वाले किसी नियम में चर्चा नहीं मानेंगे। मुझे खुशी है कि यहां प्रधानमंत्री जी भी उपस्थित हैं और पूणव दा भी बैठे हैं, जो सबसे सीनियर मेंबर हैं, नियमों के ज्ञाता हैं। मैं चाहूंगी कि पूणव दा मेरी बात की तरफ ध्यान दें।

महोदया, हमारी नियम पुस्तिका में कई नियमों में चर्चा का प्रावधान है, 193 में है, शॉर्ट डयूरेशन डिस्कसन, 184 में मोशन है, जिसमें वोट होता है, एडजर्नमेंट मोशन स्थगन प्रस्ताव है, अविश्वास प्रस्ताव है, कालिंग अटेंशन मोशन है। मेरा पहला पूंन सरकार से यह है कि जब ये नियम बनाये गये थे, अगर अलग-अलग विधाओं में चर्चा का प्रावधान किया गया था तो इसका मतलब था कि हर विधा के नीचे की चर्चा का प्रभाव समान नहीं है। हर नियम की चर्चा अलग-अलग प्रभाव डालती है। 193 की चर्चा हमेशा बेअसर होती है, जिसे अंग्रेजी में टॉक आउट कहते हैं। हम अपनी बात कहते हैं, सरकार अपनी बात कहती है और चर्चा टॉक आउट हो जाती है। ऐसी चर्चाएं नौ-दस बार महंगाई पर हो चुकी हैं, जो चर्चाएं टॉक आउट हुई हैं, जिसका कोई असर, प्रभाव दामों पर नहीं दिखायी दिया है। दूसरी चर्चा 184 की है, जिसमें मतदान होता है, लेकिन इसमें स्पीकर सरकार से सुविधा पूछती हैं कि आपको यह चर्चा किस दिन करनी है। एक मोशन के तौर पर वह नो डे यट नेम्ड मोशन के तौर पर चर्चा लग जाती है, छह, आठ या दस दिन बाद जब सरकार चाहे उस पर सरकार की सुविधा से चर्चा होती है। एडजर्नमेंट मोशन, कार्य स्थगन प्रस्ताव सबसे पहले तो विषय की गंभीरता को प्रदर्शित करता है। उसमें लिखा है कि हाउस डू एडर्जन, जिसका नाम है, काम यैको प्रस्ताव यानी कार्य सूची में लगा हुआ आरा कार्य छोड़कर इस विषय पर संसद में चर्चा हुई, यह विषय की गंभीरता को प्रदर्शित करता है।

महोदया, दूसरी बात एडजर्नमेंट मोशन इज ए सैन्शयोर मोशन। यह सरकार को सैन्शयोर करने वाला मोशन है। अविश्वास प्रस्ताव पर सरकार गिरती है, एडजर्नमेंट मोशन में अगर सरकार हार भी जाये तो वह तकनीकी तौर पर गिरती नहीं है। इसलिए एडजर्नमेंट मोशन को सैन्शयोर मोशन भी कहा जाता है। प्रधानमंत्री जी, वित्त मंत्री जी, जो कि नेता सदन हैं, यहां बैठे हैं। मैं कहना चाहती हूँ, Yes, we want discussion under adjournment motion because we definitely want to censure this government. हम क्यों सैन्शयोर करना चाहते हैं? क्योंकि जिस आम आदमी के नाम पर यह सरकार सत्ता में आयी, आज यह सरकार उसको सत्ता रही है। उस सत्ताए हुए आदमी की तरफ से हम आपको सैन्शयोर करना चाहते हैं। इसलिए हम एडजर्नमेंट मोशन लाए हैं।

दूसरा, हम एडजर्नमेंट मोशन इसलिए लाए हैं, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव पर सरकार के सहयोगी दल वोट नहीं करते हैं, सरकार के समर्थक दल भी वोट नहीं करते हैं, क्योंकि सरकार गिर जाती है। लेकिन एडजर्नमेंट मोशन पर वे अपने मनोभाव प्रकट कर सकते हैं। सरकार के घटक दल महंगाई पर हमारे साथ हैं। सरकार के वे समर्थक दल जिन्होंने कट मोशन पर उनका साथ दिया, उन्होंने भी भारत बंद, चाहे अलग तारीख पर किया, लेकिन भारत बंद महंगाई पर किया। उनका मनोभाव भी एक है। सभी लोग एक हैं। इसलिए हम एडजर्नमेंट मोशन लेकर आए हैं कि हम मिलकर, सरकार के घटक दलों के लोग, सरकार के समर्थक दलों के लोग, पूरा का पूरा विपक्ष एकजुट होकर के इस सरकार को सैन्शयोर करना चाहता है। उस आम आदमी की तरफ से जिसके नाम पर ये सत्ता में आए। लेकिन आज ये उसको परेशान करने में लगे हैं। कैसे परेशान कर रहे हैं? इसकी चर्चा मैं तब करूंगी, जब आप हमारे मोशन को स्वीकार कर लेंगी। लेकिन मेरा आपसे निवेदन है, पहली बात, मेरा नोटिस सौ फीसदी नियमों के अनुरूप है, दूसरा, हम अलग-अलग विधाओं की चर्चा में से एडजर्नमेंट मोशन की चर्चा को सबसे प्रभावी चर्चा मानते हैं। क्या सरकार अपनी संख्या के बारे में निश्चित नहीं है? ये बार-बार कहते हैं कि एडजर्नमेंट मोशन नहीं मानेंगे। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि नियम 184 पर आपको इनकी सुविधा जाननी है, लेकिन एडजर्नमेंट मोशन का निर्णय केवल और, केवल आपको करना है। आप सरकार का तर्क सुन लीजिए। इस समय जैसे हमें सुन रही

हैं, अंत में इनको भी सुन लीजिए, लेकिन निर्णय आपको करना है और उस आम आदमी की तरफ से आपसे विनती करना चाहती हूँ कि आप एडजर्नमेंट मोशन को स्वीकार करें और हमें मौका दें कि उस आम आदमी की तरफ से अपनी बात इस कार्य-स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से रख सकें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

**अध्यक्ष महोदया :** श्री शैलेन्द्र कुमार।

**श्री शैलेन्द्र कुमार (कोशाम्बी):** महोदया, मेरे स्थान पर हमारे नेता श्री मुलायम सिंह यादव बोलेंगे।

**अध्यक्ष महोदया :** क्या मुलायम सिंह जी बोलेंगे?

**श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी):** महोदया, हमारा नाम होगा।

**अध्यक्ष महोदया :** बोलने के लिए नोटिस श्री शैलेन्द्र कुमार की तरफ से प्राप्त हुआ है। ठीक है, आप बोलिए।

**श्री मुलायम सिंह यादव :** अध्यक्ष महोदया, बहुत प्रयासों और संघर्ष के बाद आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

महोदया, सवाल यह है कि क्या हम लोग नियम के तहत ही मंहगाई पर चर्चा करना चाहते हैं? हम सदन के सभी माननीय सदस्यों एवं देश की 85 से 90 फीसदी जनता की भावना व्यक्त कर रहे हैं। आज केवल 10-15 फीसदी लोगों को ही मंहगाई परेशान नहीं कर रही है, जबकि 85 से 90 फीसदी लोग मंहगाई से परेशान और तबाह हैं। अब हालत यह है कि यदि कोई मौत होती है तो उसे गर्मी में पानी की कमी के कारण दिखा दिया जाता है, यह डॉक्टरों की रिपोर्ट में आता है। लेकिन मौत भूख के कारण हो रही है। भूख के कारण पानी भी नहीं लगता है। बुखार में खाली पेट दवा लेने से भी मौत हो जाती है। आज देश में भूख के कारण मौतें हो रही हैं। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या देश में चीनी, दाल और अनाज की कमी है? आज देश में अनाज सड़ रहा है, क्योंकि गोदामों में उसे रखने की जगह नहीं है।

**अध्यक्ष महोदया :** आप नोटिस पर बोलिए।

**श्री मुलायम सिंह यादव :** महोदया, हम नोटिस का महत्व समझा रहे हैं कि यह नोटिस क्यों दिया गया है। हम आपके निदेशों का हमेशा पालन करते हैं, यह भाषण नहीं है। यह एक तथ्य है कि जब अनाज देश में उपलब्ध है तो मंहगाई क्यों है? दालें देश में उपलब्ध हैं, तो मंहगाई क्यों है? इसलिए हम मंहगाई की चर्चा में ये बातें ताना चाहेंगे और सरकार जवाब देगी कि अन्न की कमी है, विदेश से मंगवाया है, चीनी की कमी है, दालों की कमी है। हमने सदन में पहले भी कहा है कि मंहगाई पर एक बार चर्चा नहीं हुई है, यह अफसोस की बात है कि इस पर कई बार चर्चा हो चुकी है।

इसी सदन में चार बार मंहगाई पर चर्चा हो चुकी है, लेकिन उसका अर्थ क्या निकला? इसलिए इस पर आपको हस्तक्षेप करना पड़ेगा कि आखिर सरकार क्या प्रबन्ध कर रही है? सरकार गोदामों में भरे हुए अनाज को बाहर क्यों नहीं ला रही, यह महत्वपूर्ण सवाल है कि एक तरफ अन्न भरा पड़ा है, दाल की कमी नहीं है, बाजार में किसी चीज की कमी नहीं है, फिर मंहगाई किस बात की है? मंहगाई इसलिए है, हमारा बिलकुल ऐसा मत है कि कुछ 10-15 फीसदी लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए मंहगाई है, यह जनता की भावना है। इसलिए हम चाहते हैं कि इस पर विस्तार से चर्चा हो जाए, चर्चा में परेशानी क्या है? मुझे आश्चर्य होता है जब संसदीय कार्य मंत्री जी उठने लगते हैं। संसदीय कार्य मंत्री तो आपकी तरह दोनों पक्षों की बात को सुनते हैं। वे सदन को चलाने की व्यवस्था करते हैं। अन्य कोई खड़ा हो जाए तो मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री जी, आप क्यों खड़े हो गए? ...(व्यवधान) संसदीय कार्य मंत्री सब के होते हैं। वे दोनों तरफ बातचीत करके, सदन को ठीक तरीके से चलाने की व्यवस्था करते हैं, लेकिन वह स्वयं खड़े हो गए। वह विवादित होते चले जा रहे हैं, जबकि संसदीय कार्य मंत्री विवाद से दूर रहते हैं।

अध्यक्ष महोदया, अब आपको हस्तक्षेप करना पड़ेगा, बहस तो हो जाएगी। हमें एक और अफसोस है, इसलिए भी हम चर्चा चाहते हैं। सरकार बयान देती है कि मंहगाई और बढ़ेगी। यह पहली सरकार है, जिसमें प्रधानमंत्री जी और अन्य मंत्री जी बयान देते हैं कि मंहगाई और बढ़ेगी। ये कहते हैं कि मंहगाई बढ़ा तो, मुनाफा कमा तो, थोड़े दिन बाद हम दिसम्बर में मंहगाई रोक देंगे, तब तक नवम्बर, दिसम्बर तक आप कमाइए। क्या यह इस तरह का ग्राहता का सवाल है? हमारा महत्वपूर्ण विषय पर कार्य-स्थगन का प्रस्ताव है, इसलिए आज की सारी कार्यवाही बंद करके तत्काल अभी इस पर बहस करवाइए।

**श्री दारा सिंह चौहान (घोसी):** अध्यक्ष महोदया, आज हमारी पार्टी संसद का सारा जरूरी काम रोक कर मंहगाई पर चर्चा चाहती है। हम सरकार को संकट में डालना नहीं चाहते।...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया:** कृपया शांत रहिए, चौहान जी की बात सुन लीजिए।

वेद! (व्यवधान)

**श्री दारा सिंह चौहान :** बी.एस.पी. का नाम आते ही इन्हें परेशानी हो जाती है। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, हम नोटिस देकर सरकार को संकट में डालना नहीं चाहते, ...(व्यवधान) हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है, ...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया:** आप बैठ जाइए, आप क्यों खड़े हो गए?

**श्री दारा सिंह चौहान :** आज देश के सामने जो संकट खड़ा है, हम उस पर चर्चा करना चाहते हैं। आज पूरे देश में मंहगाई का आलम है। इस देश की सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के नाते मंहगाई बढ़ी है। आज मंहगाई इस देश की एक राष्ट्रीय समस्या बन गई है, इसलिए हम इस पर चर्चा करना चाहते हैं। इस पर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि सन् 2004 के बाद लगातार मंहगाई बढ़ती गई। कई बार डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ाए गए, जिसके नाते जो जरूरी खाद्यान्न का सामान था, वह आसमान छूने लगा - चाहे दाल, चावल या तेल हो, सब के दाम दोगुने हो गए। चीनी के तीन गुना दाम हो गए। अभी चर्चा हो रही थी। ...(व्यवधान)

आप मेरी बात सुने, अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अनाज रखने के लिए जगह नहीं है, अनाज सड़ रहा है, इसलिए उसे गरीबों में बांट दिया जाए। मैं समझता हूँ कि इस पर भी सरकार को जरा भी चिन्ता नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस पर विस्तार से चर्चा कराई जाए।

अध्यक्ष महोदया, माननीय प्रधान मंत्री जी द्वारा राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक में मानसून का हवाला देकर महंगाई से पल्ला झाड़ना, उचित नहीं है। इस समय पूरे देश के किसान परेशान हैं। यह खरीफ की फसल का समय है। इस समय धान की रूपाई होने वाली है। ऐसे समय में मानसून नहीं आ रहा है। मानसून के न आने के कारण धान की रूपाई नहीं हो पा रही है। इस समय मानसून भी किसान के साथ नहीं है। ऐसे समय में सरकार ने डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ाकर निश्चित रूप से यह संकेत दे दिया है कि सरकार किसान की समर्थक नहीं है, बल्कि किसान-विरोधी है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस पर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए। आज देश के 90 प्रतिशत गरीब, किसान, जो गांवों में रहते हैं, वे बहुत परेशान हैं।

महोदया, मिट्टी के तेल के दाम बढ़ाए गए हैं, जो सीधे गरीब के ऊपर चोट करते हैं। आजादी से लेकर अब तक जो लोग मिट्टी के तेल का चिराग जलाकर रात में अपना काम चलाते थे, उस मिट्टी के तेल के दाम भी बढ़ा दिए गए हैं। जिस गरीब ने गांव में बिजली के खम्भे को नहीं देखा, जो अपना जीवन यापन मिट्टी के तेल पर करता था, जिसके घर में आज भी बल्ब नहीं है, जो मिट्टी के तेल का दीपक जलाता था, उस मिट्टी के तेल के दाम भी बढ़ा दिए गए हैं। गांवों में रह रहे लोगों की उन्नति के लिए केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जा रही तमाम योजनाओं के बाद भी आज गरीब परेशान हैं। मध्यम श्रेणी परिवार की जो महिलाएं हैं, वे भी एल.पी.जी. के रेट अचानक इतने बढ़ जाने के बाद, बहुत परेशान हैं। उनके यहां खाना पकना बन्द हो गया है।

अध्यक्ष महोदया, हमारी पार्टी चाहती है कि सारा काम-काज रोक कर देश में बढ़ रही महंगाई पर विस्तार से चर्चा कराई जाए और इस बात का सरकार को गम्भीरता से नोटिस लेना चाहिए और उसे यह बताना चाहिए कि वह देश में बढ़ती हुई महंगाई पर कंट्रोल करने के लिए क्या करने जा रही है। धन्यवाद।

**श्री शरद यादव (मधेपुरा):** अध्यक्ष महोदया, हम सब लोगों ने, जिन्होंने स्थगन प्रस्ताव दिया है, उन्हें सुनने की आपने जो अनुमति दी है, उसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। मैं सब बातें नहीं दोहराना चाहता हूँ। श्रीमती सुषमा जी, श्री मुलायम सिंह जी और श्री दारा सिंह चौहान जी ने जो बातें कही हैं, वे बिलकुल ठीक हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि सदन में आप अकेली ऐसी नेता हैं जिनके ऊपर केवल सामने वाले पक्ष ने ही नहीं, बल्कि समूचे सदन ने विश्वास व्यक्त किया है। मैं निवेदन करूँ कि स्थगन प्रस्ताव से पहले, जो सरकारी पक्ष है, उसकी तरफ से जिस तरह के बयान आते रहे हैं, वे कतथी उचित नहीं हैं। मैं उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन इन्होंने पहले ही फैसला सुना दिया है कि हम सदन में 'काम रोको प्रस्ताव' को छोड़ कर अन्य सभी नियमों के अन्तर्गत चर्चा करने के लिए तैयार हैं।

महोदया, पूरा भारत बन्द रहा। इस देश के सदन के बहुमत के लोगों ने यह कहा कि भारत में जो महंगाई है, उससे लोग बहुत कराह रहे हैं। हालत अजीब है। पार्टियों ने तो सिर्फ बयान दिए, मीटिंग भी नहीं हुई। अपने-अपने दफतरों से सिर्फ प्रेस रिलीज निकाली कि हम बन्द में शामिल होंगे। मानें नहीं मानें, भारत की जनता आगे थी। पार्टियों की कूवत भारत बन्द करने की नहीं थी। आजादी से पहले 1942 में भारत बन्द हुआ था या फिर इस साल 5 जुलाई को भारत बन्द हुआ। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : कृपया बैठ जाइए।

â€!(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record.

(Interruptions) â€!\*

अध्यक्ष महोदया : संजय निरुपम जी, आप बैठ जाइए। श्री शरद यादव जी आप बोलिए।

â€!(व्यवधान)

श्री शरद यादव : अध्यक्ष जी, मैं कह रहा था कि ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया :श्री कल्याण बनर्जी, आप कृपया बैठ जाइए।

â€!(व्यवधान)

श्री शरद यादव : अध्यक्ष जी, मैंने कोई बेजा बात नहीं कही है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि भारत की समूची जनता सड़क पर थी। ...(व्यवधान) आपका मानना है कि नहीं थी तो आप वह मानिये।

â€!(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइये। आप भी बैठिये।

â€!(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing would go on record. अब आप बैठ जाइये। अब वे सब चुप हो गये।

(Interruptions) अ०\*

MADAM SPEAKER: Nothing would go on record. यह रिकार्ड में नहीं जायेगा। हमने रिकार्ड में जाने से मना कर दिया। यह सब रिकार्ड से निकाल दीजिए। हमने कह दिया, रिकार्ड से निकाल देंगे।

(Interruptions) अ०\*

MADAM SPEAKER: Please take your seat. अब रिकार्ड में जा ही नहीं रहा। आप बैठ जाइये।

(Interruptions) अ०\*

MADAM SPEAKER: Nothing is going on record. यह रिकार्ड में नहीं जा रहा है।

(Interruptions) अ०\*

MADAM SPEAKER: It is not going on record. आप बैठ जाइये।

(Interruptions) अ०\*

श्री गोपीनाथ मुंडे (बीड): आपने शरद यादव जी को कॉल आउट किया, उसके बाद इन्होंने बीच में हस्तक्षेप...

(Interruptions) अ०\*

MADAM SPEAKER: It is not going on record. यह सब रिकार्ड में नहीं जा रहा है। हमने यह शब्द रिकार्ड से निकाल दिया है, अब आप बैठ जाइये। अग्रवाल जी, उनको बोलने दीजिए।

(Interruptions) अ०\*

MADAM SPEAKER: It has been expunged. हमने एक्सपंज करने के लिए कह दिया। अब हो गया। जगदम्बिका पाल जी, आप बैठ जाइये।

श्री शरद यादव : अध्यक्ष जी, मुझे महसूस होता है कि महंगाई जो है, जैसे हम लोगों के अकेले के जिम्मे हैं, आपके जिम्मे नहीं हैं; चर्चा से...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: जगदम्बिका पाल जी, आप बैठ जाइये। Please take your seat.

...(Interruptions)

MADAM SPEAKER: Please take your seat. वे बैठ गये, अब आप भी बैठ जाइये।

...(Interruptions)

श्री शरद यादव : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो सत्ताधारी दल है और यहां देश में सबसे ज्यादा अन्तिम ताकत के तौर पर भारत सरकार है, इसके बाद परमात्मा है। यह बात कहां उठायी जाए? आज कांग्रेस पार्टी के लोग कदम-कदम पर बोल रहे हैं। हम लोग विपक्ष में बैठे हैं, यहां प्रधानमंत्री जी हैं, नेता सदन हैं, हम अपनी बात कहां सुनाएं? आपने यह कहकर बाजार और आसमान के जिम्मे भारत को छोड़ दिया। आपके बयान आए और पेट्रोल के बारे में कह दिया ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप टिप्पणी नहीं करिए।

श्री शरद यादव : डीजल के बारे में प्रधानमंत्री जी ने कहा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि भारत सरकार की तरफ से जो ध्वनि आयी है, वह यह आयी है कि बाजार तय करेगा और बरसात ठीक हो गयी, तो खरीफ की फसल ठीक आ जाएगी, तो फिर महंगाई घटेगी। इसका मतलब सरकार का कोई दायित्व नहीं है, इस सदन का कोई दायित्व नहीं है। हमने जो आपके पास नोटिस दिया है, आपकी पिछली रूनिंग के चलते, सिर्फ केरोसिन और एलपीजी का दिया, जिनके दाम बढ़े हैं। आपने कहा कि महंगाई एक निरंतर प्रक्रिया है। इसे आपने खुद ही स्वीकार कर लिया। यह निरंतर प्रक्रिया लोगों के पेट को आरी की तरह काट रही है। लोगों की लाचारी, बेबसी, इस तरह से वे घिरे हुए हैं कि मैं आपसे कहूँ कि सत्तर रूपए या नब्बे रूपए लेकर कैसे जिएं? हर चीज के दाम में बढ़ोतरी हुयी है। दाल, रोटी और चटनी रोटी, इस देश के गरीब का सबसे अन्तिम सवाल था। नमक से लेकर, चटनी और दाल में भी आग लग गयी। जो स्थगन प्रस्ताव है, उससे सरकार को भी कोई हर्जा होने वाला नहीं है। आपके हाथ तो बहुत लंबे हैं। कट मोशन पर आपने दिखा दिया, कट मोशन में बहुत कम वोट हमें मिले थे। हम ही कट हो गए थे। आपके हाथ तो लंबे हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं। आप चर्चा को क्यों रोके हुए हैं? आप यह नोटिस एक्सेप्ट करिए।

सुषमा जी ने ठीक कहा कि यह सरकार गिराने का कोई मोशन नहीं है और न हम सरकार गिराना चाहते हैं, हम तो महंगाई रोकना चाहते हैं। कौन चुनाव में जाएगा? हमारे जैसा गरीब आदमी इतना पैसा कहां से लाएगा? हम तो खुद ही चुनाव में नहीं जाना चाहते। हम कहां सरकार गिरा रहे हैं? हम तो आपसे विनती कर रहे हैं कि इस मोशन को स्वीकार करें। यह मोशन झकझोरने के लिए है। यह मोशन, आप चादर तानकर जो सो रहे हैं, वह चादर खींचने के लिए है। इसमें और कुछ नहीं है।

महोदया, आपके ऊपर हम सब का विश्वास है। इन्होंने लगातार बयान दिया कि आपके स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कतई नहीं होगी। हम करेंगे ही नहीं। आपसे पहले तय कर लिया, यह अजीब बात है। यह कुर्सी के अधिकार को भी घटा रहे हैं। मैं उनका नाम लूंगा तो वह ठीक नहीं होगा। आपके अधिकार को भी ...(व्यवधान) गिरवी वया रख दिया, बाहर की जो महंगाई है, लोगों की कपड़े से लेकर हर चीज घट गयी, यहां आपके अधिकार को भी यह घटा रहे हैं। आप क्यों बोल रहे हैं? किस बात पर

आप बोल रहे हैं कि स्थगन प्रस्ताव नहीं मानेंगे? अध्यक्ष जी यहां हैं, वह जो फैसला करेंगी, वह आपको मानना है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम लोगों ने आपके पिछले फैसले से डरकर ... (व्यवधान) आपसे नहीं डरेंगे तो किससे डरेंगे। सिर्फ मिट्टी का तेल और जिससे चूल्हा जलता है, सिलेंडर के बढ़े हुए दामों के ऊपर नोटिस दिया है, तो इसे मानने में अध्यक्ष जी आपको क्या दिक्कत है? ये भी सुधरेंगे, हम भी सुधरेंगे और देश में महंगाई के लिए कोई न कोई रास्ता निकलेगा। ... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** आप बैठ जाइए। अब अपनी बात समाप्त करिए।

श्री (व्यवधान)

**श्री शरद यादव :** आप हमको छेड़ते नहीं थे, लेकिन छेड़ रहे हैं, तो क्या करें? मैं आपसे फिर विनती करूंगा, हम किसी और से विनती नहीं कर सकते, इस सदन के बाहर तो कोई नहीं है, जिससे विनती की जा सके, फिर तो मंदिर है, वहां परमात्मा सुने या न सुने। यह जो सदन है, आपका मंदिर है और आपके हाथ में फैसला है। आप फैसला करिए जिससे सदन अच्छी तरह से चले। सरकार क्यों इस पर अड़ी हुयी है और क्यों प्रतिष्ठा का पूजन बनाए हुए है? हमारा प्रतिष्ठा का पूजन नहीं है। हम कहां आपकी सरकार गिरा रहे हैं? हम आपकी सरकार को झकझोर रहे हैं। आप जाग जाइए, आप ठीक हो जाइए। इसलिए आप इस निवेदन को मान कर हम सबको एक तरह से सहमत दीजिए। भारत के लोग जो सड़कों पर आए थे, वे आपकी तरफ देख रहे हैं कि स्पीकर साहिबा क्या करने वाली हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): Madam Speaker, very rarely we ask for a discussion under Adjournment Motion. Normally, we do not ask for it. In the last Budget Session, the entire Opposition demanded it seeing the way the prices of essential commodities were increasing day by day. During the last 26 days, inflation of food articles never touched 20 per cent. But in the month of February, it touched 20 per cent and that is why, the entire Opposition demanded that there should be a discussion under Adjournment Motion. We accepted your ruling. We agreed, or the entire Opposition agreed, for a discussion under Rule 193.

We had three discussions during the Fifteenth Lok Sabha under Rule 193. During this one year, I also referred to the earlier UPA-I Government. But during this one year, the UPA-II Government has not taken any concrete measures to contain and control the prices of essential commodities. Seeing the way the Government have increased the prices of LPG and kerosene, we, the Left Parties, used to extend outside support to the Government. We did not allow the UPA Government to touch the price of kerosene in the last five years. The price of kerosene was not increased and the Left Parties did not allow the Government to increase the price of kerosene. Now the price of kerosene has been increased by Rs. 3 and the price of LPG has been increased by Rs. 35.... (Interruptions)

**अध्यक्ष महोदया :** अधीर रंजन जी, प्लीज़ बैठ जाइए।

श्री (व्यवधान)

SHRI BASU DEB ACHARIA : Moreover, the price of petrol has been deregulated. The hon. Prime Minister has stated that it will not confine only to petrol but the price of diesel will also be deregulated. That means, the people of the country are being pushed at the mercy of international market. The domestic price of petrol will now depend on international price of petroleum products.

Madam, your ruling on our notice was that it should be of a definite nature because Rule 58 stipulates certain conditions. There are mainly two conditions. Your consent and not the Government's consent is required for it. Madam, you have to take a decision on this matter. It should be of a definite nature, of urgent public importance and of recent occurrence. The prices of petrol, diesel, cooking gas and kerosene have been increased very recently.

Very recently, that is on 26<sup>th</sup> June, the prices of petroleum products were increased. It has its cascading effects on other items. There are precedents of allowing discussion under Adjournment Motion on the issue of rising prices of essential commodities. I can cite them. On 23<sup>rd</sup> July, 1973, the Speaker gave consent to Shri Indrajit Gupta to move his Adjournment Motion on the issue of 'Abnormal Rise of Prices of Essential Commodities'; then on 12<sup>th</sup> November, 1973, the Speaker gave consent to Shri S.N. Banerjee to move his Adjournment Motion on the issue of 'Abnormal Rise of Prices of Essential Commodities'; then on 21<sup>st</sup> February, 1986, the Speaker gave consent to the notice of Adjournment Motion of Prof. Madhu Dandavate on the issue of 'Abnormal Increase in the Prices of Fertilizer, Petroleum Products and Other Essential Commodities'; then on 13<sup>th</sup> June, 1994, the Speaker gave consent to Shri Ramashray Prasad Singh to move his Adjournment Motion regarding 'Failure of the Government to Meet Sugar Situation and Large Scale Import at Higher Prices'. Very recently, on 17<sup>th</sup> April, 2000, the Speaker gave consent to raise the issue of 'Rising Prices of Essential Commodities' under an Adjournment Motion, when the Left parties and the Congress were in the Opposition and the NDA was in power. So, there are precedents.

The reason why we are asking for an Adjournment Motion is that we want a definite reply from the Government as to why the Government has failed to contain and control the rising prices of essential commodities. Millions of people are forced to go to bed hungry, whereas lakhs of tonnes of wheat and rice are rotting in the godowns.

Rising the prices of essential commodities, including that of petroleum products, was the decision of the Government. It was because of the wrong policies pursued by the Government. The Government's contention is that this is not the responsibility of the Central Government alone and that the State Governments are also responsible for that. But where is the role of the State Governments in increasing the prices of petrol, diesel, cooking gas and kerosene? The State Governments have no role to play in that. It is the sole responsibility of the Central Government. Realise the condition of the people.

You have seen the anger of the people on 5<sup>th</sup> July. The strike of 5<sup>th</sup> July was a spontaneous reaction. Millions of people came out on the streets to protest against the anti-people policies of this Government, the UPA II Government. The Government should realise the anger of the people. As representatives of the people, we should be allowed to raise this issue only under the Adjournment Motion. Of course, we have other forms of discussion, like discussion under Rule 193 and Rule 184. Why are we asking for only this time that a discussion only under Adjournment Motion should take place? It is because we want to censure this Government. Our motive is not to destabilize this Government. Why are they afraid of the Adjournment Motion? They have the majority. We want to criticise this Government. It is because of their wrong and anti-people policies, the prices are rising. It is the greatest failure of this Government. ...(*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Please conclude.

...(*Interruptions*)

SHRI BASU DEB ACHARIA : How the inflation is increasing? The hon. Prime Minister is saying that we will have to wait up to December. The hon. Minister of Finance said that within two months, the prices would be moderated. But there is no effect on the prices of essential commodities.

Madam, as there is no other issue so urgent and so important than this, that is why, the entire Opposition is urging you this time that you give your consent. ...(*Interruptions*) This is not the decision of the Government. The Government can object. Though it is provided under the rules yet we very rarely exercise this power. That is why we urge upon you and we sincerely request you to give your consent today itself, just now, so that the discussion under Adjournment Motion can be started immediately.

DR. M. THAMBIDURAI (KARUR): Madam, Speaker thank you very much for giving me this opportunity to say a few words as to why we have given the notice for the Adjournment Motion.

Madam, recently the hon. Minister of Finance has said that there is an increase in the growth rate in the economy. I do not think that there is any increase in the growth rate in the economy. There is actually growth of inflation in the country which is taking place now. It is because of the wrong policies followed by the present Government that there is an inflationary condition in the economy. The prices of all the essential commodities have increased.

Madam, we have come here to express the views of the people. It is the highest forum. We are the elected representatives of the people. We have to express the feelings of the people. The people are feeling that prices are increasing day-by-day. Even if you take the price of salt, it has increased ten times now. This is the actual condition. Apart from that the Government has recently increased the prices of petrol, diesel, kerosene and LPG. It is because of that, the inflationary condition is increasing.

Madam, the vehicle owners, especially lorry owners, has given the notice for strike. This is definitely going to affect the whole economy. Therefore, I would request the Government to reconsider rolling back the prices of petrol, diesel and kerosene because it is affecting the common man. We have to look after the common man, the *Aam Aadmi*. Therefore, it is the duty of the Government to see that the prices of petrol, diesel, kerosene and LPG are reduced.

For that only, we have given notice of an Adjournment Motion. Please consider our request for adjourning the listed business and taking up this very important issue.

MADAM SPEAKER: Thank you very much. Now, I call Shri Nama Nageswara Rao to speak. Please speak only on the price

rise saying why the Adjournment Motion should be allowed.

**श्री नामा नानेश्वर राव (खम्माम):** मैडम स्पीकर साहिबा, जब से यह सरकार आई है, तब से आवश्यक वस्तुओं के दाम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। हम लोग 15वीं लोक सभा में अभी तक महंगाई पर तीन बार डिस्कशन कर चुके हैं। इसके बाद भी रिजेंट एक्सेस में सरकार ने पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल और एलपीजी के रेट बढ़ा दिए हैं। हमने इस सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस आपको दिया है। हमें समझ में नहीं आता कि सरकार इसके तहत बहस कराने से क्यों डर रही है और क्यों पीछे हट रही है। अगर सरकार महंगाई पर और पेट्रोलियम पदार्थों के रेट बढ़ाने को सही मानती है तो वह देश के लोगों को बताए। आज महंगाई से आम आदमी और किसान सभी प्रभावित हुए हैं और पेट्रोलियम पदार्थों के रेट बढ़ जाने से उनकी तकलीफों में और इजाफा हुआ है। यह सरकार किसानों के साथ और आम आदमी के साथ व्यापार कर रही है, बिजनेस कर रही है। एक तरफ वह इस तरह से रेट बढ़ाती है और दूसरी तरफ टैक्स लगाती है। केरोसिन ऑयल, डीजल और एलपीजी के रेट बढ़ाया जाना एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि इसने पूरे देश के लोगों को प्रभावित किया है। इसलिए हमारी सरकार से मांग है कि तुरंत इन बढ़े हुए रेट्स को रोलबैक करे। अगर सरकार ऐसा नहीं करती, तो हमारा आपसे निवेदन है कि हमारे स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार करके हमारे साथ न्याय किया जाए।

**SHRI GURUDAS DASGUPTA (GHATAL):** Madam, at long last, we are not discussing the subject. If we are allowed to discuss the subject, we shall do it in a more detailed way. We are only pleading with the Presiding Officer to kindly accept the Adjournment Motion. Strictly under the rules, Madam, you are the only person who can admit or who can disallow it. It depends on you. Why should I plead that the hon. Speaker should accept it? Under the rules, there are two conditions: one is the recent occurrence, another is the emergent situation. Not only should it be recent but also it has to be emergent. I leave it to you to believe; I leave it to my hon. colleagues to believe whether the price rise gives rise to an extraordinary situation. I leave it to your judgment. Who is responsible, who is not is different. But let us assume it because the shoe pinches everywhere that it is an emergent situation that the country is facing, an extraordinary situation that the country is facing. Parliamentary rules provide that if an extraordinary situation arises, there is an extraordinary way to raise that in Parliament. It is in the Rule Book. The extraordinary situation should be dealt with in Parliament in an extraordinary way. If we believe that the price rise situation is extraordinary, not ordinary, then the Opposition is entitled to take recourse to the extraordinary Parliamentary method to raise that in the House.

First is the question of raising it in the House. Therefore, price rise has given rise to an extraordinary situation. As for the Parliamentary practice, we are entitled to make use of the extraordinary Parliamentary method. This, Madam, is the number one argument that the exalted Office of the Speaker should kindly consider it.

Secondly, there have been innumerable precedents in this Parliament. We are here today. We may not be here tomorrow but Parliament will live. There are precedents. On a number of occasions, only on price rise, there had been a number of Adjournment Motions admitted in the House by the exalted Office of the Speaker. Therefore, this is the second consideration.

The third consideration is the recent occurrence. I know that the price rise is not a recent occurrence. This Government has the unique distinction of living with price rise for too long a period! I am not going into that. The question is: what is the recent occurrence? The recent occurrence is deregulation of the price of petrol. My hon. colleagues in the House may kindly remember that petroleum product and petroleum market was protected by the successive Governments including the Congress Government....(*Interruptions*) The petroleum market was protected. It was never liberalized. It was done by Pandit Jawaharlal Nehru. It was done by Shrimati Indira Gandhi. It was done by Shri Rajiv Gandhi. It was done by everybody. I repeat that the petroleum market was never liberalized, de-regulated. This Government has taken the extraordinary decision in taking forward the liberalisation to the extent of deregulating the petroleum price market. That is the recent occurrence. Because of the deregulation, what is going to happen? Everybody knows that the petroleum market is under speculation. Who decides the international petroleum price? The international petroleum price is decided by the speculators....(*Interruptions*)

**MADAM SPEAKER:** Please confine yourself to the notice.

**SHRI GURUDAS DASGUPTA :** I am coming to that. The international petroleum price is decided by the oil-producing countries. They decide it. They speculate. They exploit the whole world. By deregulating the petroleum price, we make ourselves a victim of international speculation. This is extraordinary. This is harmful. This is anti-people. This is what we are protesting....(*Interruptions*) Therefore, Madam, I am extremely pained of it. Let us not shout at each other. The country is watching the Members of Parliament. Let us believe that the sufferings of the people are unmitigated. Whether they voted for the Congress, whether they voted for the Left, whether they voted for the BJP, the people are terribly under pressure. Let us express the distress of the people in the House. Let us not shout at each other....(*Interruptions*) As I said, let us express the distress of the people in the House. What for? I have a modification to make to what Shrimati Sushma



Swaraj has said. I am not for censure. The Adjournment Motion is a Motion to disapprove the policy of the Government with regard to the price of the petroleum products in the country. Let the people know that Parliament is aware of the sufferings of the people; Parliament is expressing the distress of the people and Parliament is distressed....(*Interruptions*)

Madam Speaker, I must submit that I am here for a long time. This is not an issue on which we should interrupt each other. Let us show our wisdom. Let us show our respect. Let us show our concern. Let us not interrupt each other. The situation is too grim and the House must be made alive of that. The Government must be put on the dock for not being able to curb the price rise for years together. Therefore, we strongly oppose the policy of the Government.

### **12.00 hrs.**

**श्री आनंदराव अडसुल (अमरावती):** अध्यक्ष महोदया, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने आम आदमी की भावनाओं को मद्दे नज़र रखते हुए काम शेको प्रस्ताव पर चर्चा करने की अनुमति प्रदान की है। नेता प्रतिपक्ष आदरणीय सुषमा जी ने अपनी जो बातें सदन में रखी हैं, मैं शिव सेना की तरफ से उनका समर्थन करता हूँ और इन बातों के साथ अपनी बातें भी जोड़ना चाहता हूँ।

आज देश में 37 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। कीमतों में वृद्धि होने के कारण 12 फीसदी दूसरे लोग भी, जो गरीबी रेखा से ऊपर थे, वे भी गरीबी रेखा के नीचे आ चुके हैं। गैस और कैरोसीन की कीमतों में वृद्धि हुई है, जिसके कारण आम आदमी महंगाई की चपेट में आया है। उनका जीवन मुश्किल में पड़ गया है। डीजल और पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि के कारण रोज़मर्रा की आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में 16 फीसदी की वृद्धि हो चुकी है और आज देश में 50 फीसदी लोग महंगाई की चपेट में हैं। यह अहम मुद्दा राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है, इसलिए इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करना जरूरी है।

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): Hon. Speaker, as the second largest Party in the UPA Government, keeping full faith upon the leadership of Dr. Manmohan Singh, we have given our notice to take up the issue which is, no doubt, the burning issue at this crucial juncture. The poorest of the poor people are actually fighting with hunger. In the other sense, the hungry people are fighting with hunger so far as the price hike is concerned.

The recent occurrence and accordingly the notice which I have given, the statement that I made, is very clear: "The Government increased the prices of petrol, diesel, kerosene and LPG recently. This will affect the rate of inflation and put additional hardship on common man. The Minister of Petroleum and Natural Gas gave a statement in Lok Sabha yesterday. The House needs to discuss this important issue which concerns the common man".

Madam, the whole country is watching that this issue be debated on the floor of the House with all importance and with priority. But they are also becoming frustrated to see that the only battle is going on on which rule it will go for discussion. It can be taken for granted, Madam, whether it is an adjournment motion or if the discussion be held under Rule 184, it indirectly directs that it is a 'No Confidence Motion' to the Government and one Government cannot ever agree that this discussion would be held under Rule 184 or under adjournment motion. So, discussion under Rule 193 can be the best way to discuss.

Madam, what I propose is that let it be debated. The way all political Parties belonging to the Opposition extended support to the Government stating that they do not want to see that this Government falls, and the way they expressed their intention that they want to take part only on the discussion to highlight the issues of the poor people of the country, we are also of the same opinion.

The hon. Prime Minister has very categorically said that the Government will never retreat to take any decision on the floor of the House and let the House continue smoothly and let the matters be discussed very smoothly. So, we fully agree that this matter is to be taken as the top most priority.

Mamata Banerjee, our leader, put her note of dissent and raised her voice that price hike will affect the common people. We still believe that 'price hike' can be taken up for discussion so that at least some portion of it can be reduced. This will be our appeal when the debate will take place.

I hope that this discussion can be taken up under Rule 193 and be started immediately. We believe that the UPA Government has no hesitation to initiate this debate or to take part in the debate more than any other party who is present in the Parliament at this juncture. We hope that a debate under Rule 193 can be initiated at the earliest possible time.

**श्री लालू प्रसाद (सारण) :** अध्यक्ष महोदया, नेता विरोधी दल सहित सभी माननीय दल के सदस्यों ने, तीडर्स लोगों ने और मैंने भी कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया।

क्षमा करिएगा कि आज मैं भूलवश नहीं दे पाया, आपने कृपा की। प्राइस राइज पर कहीं भी किसी भी पार्टी में कोई डिस्प्यूट नहीं है। हम एकमत हैं और सरकार के पक्ष में बैठे हुए लोग भले ही कुछ बोलें, एमपी लोग उधर भी दुखी हैं। भारत बंद एक बार हुआ तो बिहार बंद दो बार हुआ। विचारों की भिन्नता आज भी है और कल भी रहेगी। इसलिए मेरा सुझाव है कि ईमानदारी से लड़ना है तो सन् 1977 को याद करिए और अपनी-अपनी पार्टी का विसर्जन कर दीजिए। ईमानदारी से हम लोग लड़ाई लड़ें। माननीय सदस्यों ने जो कार्य-स्थगन प्रस्ताव दिया है और मैंने भी दिया है, मुझे इस बात का अफसोस है और मैं सरकारी पक्ष से यह जानना चाहूंगा कि उस दिन कट-मोशन पर हम लोगों ने जो वॉक-आउट किया था, इसके चलते मुलायम सिंह यादव और मुझे एक दल के शीर्षस्थ पद पर बैठे हुए नेता ने क्या-क्या कह डाला। बाद में भले ही उन्होंने माफी मांगी हो।

हम जब लड़ाई लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं तो प्रतिपक्ष की तरफ से एक-दूसरे को पीछे फेंकना चाहते हैं, एक-दूसरे को दबाकर, धक्का देकर अखबार में अपना स्थान प्राप्त करना चाहते हैं और अपना लेख अखबारों में छपवाते हैं। माननीय प्रधान मंत्री जी ने कई अवसरों पर जो मैं पढ़ता हूँ, वह राज्य के ऊपर महंगाई का ठेकरा फोड़ रहे हैं और राज्य दिल्ली के ऊपर फोड़ रहे हैं। लेकिन जनता पिरी जा रही है। कमर तोड़ महंगाई हो रही है, यह बात किसी से छिपी हुई नहीं है। मिट्टी का तेल, गैस, लहसुन, प्याज इत्यादि सब चीजों के दाम बढ़ रहे हैं और दाम बढ़ने के कारण जनता में आक्रोश व्याप्त है। मैडम, हम लोग ऐसे ही सवाल नहीं उठा रहे हैं। आप भी बिहार से आती हैं। सबसे ज्यादा गरीब लोग बिहार में रहते हैं। वहां की क्या हालत है, यह आप भी जानती हैं। बिहार में बारिश नहीं हुई। दो महीना धान रोपने का काम पीछे चला गया। माइ भात भी मिलेगा कि नहीं, कोई नहीं जानता। डीजल सस्ता होता तो पेट्रोल का काम हो जाता। डीजल, पेट्रोल, गैस, मिट्टी का तेल और अनाज के दाम सभी चीजों के दाम बढ़ गये हैं। एक तरफ इस देश में प्राइस राइज इतना ज्यादा हो रहा है और दूसरी तरफ छूट दे दी गई कि जिन लोगों ने वायदा मार्केट को इंटीडयूस किया, जिस इंसान ने वायदा मार्केट, इस जुं के खेल की इजाजत दी और अफसोस इस बात का है कि फ्यूल के प्राइस जब बढ़े तो पेट्रोलियम पदार्थ से केन्द्र सरकार अपना हाथ झाड़कर अलग हो गई। कंपनियों को छूट मिल गई कि जब-जब वे चाहेंगी, दाम बढ़ाएंगी। यह सरकार अपनी जिम्मेदारी से हट गई है और यह बहुत खतरनाक बात हो गई है। कंपनियां अपनी जेबें भरेगी और सरकार अलग हट गई है।

कमर तोड़ महंगाई के सवाल पर कार्य-स्थगन प्रस्ताव को मंजूर किया जाए। हमें बताएं कि सीबीआई से डर है? क्या मुलायम सिंह जी को सीबीआई से डर है? हम पर लांछन जिस तरह लगाया गया और हम सुप्रीम कोर्ट से केस जीते, हम सरकार में थे, हमारे ऊपर रांची कोर्ट में केस चल रहा है। मुलायम सिंह जी पर कहां केस है? इस देश में डिमोरलाइज करने की संस्कृति चल रही है। हम इसे कतई बर्दाश्त नहीं करते। यह बहुत गंदी बात है कि लोग इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। हम जिस बिरादरी में पैदा हुए हैं, जब हम लोगों के साथ इस तरह से व्यवहार होता है तो हम जानते हैं कि ऐसे लोगों से कैसे निपटेंगे। हम अपनी रणनीति खुद तय करेंगे। हम किसी दूसरी पार्टी से डिकटेड नहीं होते। हम अपना फैसला लेते हैं कि हमें क्या करना है और किसके साथ रहना है। हमने इनका साथ दिया और हम जब चाहें विदड़ें करेंगे। सचर कमीशन, रंगनाथ मिश्रा कमीशन, प्राइस राइस, पसमंदा मुसलमान का सवाल आज भी है और देश के सामने इस बात को आज भी टेबल नहीं किया जा रहा है। हमें प्राइस राइस पर निर्णय लेना है और आप इसे मंजूर कीजिए। हमारा दल और हम आग्रह करते हैं कि आप इस पर चर्चा कराइए।

SHRI ARJUN CHARAN SETHI (BHADRAK): Madam Speaker, thank you for having given me a chance to plead before you as to why this Adjournment Motion notice to discuss immediately the burning issue that has been there in the country should be admitted by the hon. Chair.

It has been argued from the Treasury Benches that this is not a recent occurrence and an urgent issue. I would like to just plead before you, Madam, that the rise in the prices of kerosene as well as LPG, as has been stated by the hon. Leaders in this House today, is certainly a case of recent occurrence. Secondly, the decision to decontrol of petroleum products, as has been stated by the hon. Member, Shri Gurudas Dasgupta, has been taken recently, and this has not been informed to this august House. The hon. Prime Minister, who is present here now, has already indicated that diesel would be decontrolled.

Madam, these are all recent occurrences and recent happenings. The issue of rise in the prices of other essential commodities has been agitating the Members of the Opposition as well as from the other side of this House. There are some supporting parties, which have some reservation in the rise in the prices of kerosene and LPG. They have not attended the meeting of the Group of Ministers held under the Chairmanship of our esteemed Leader of this House and also the hon. Finance Minister. They have their reservation and they have not supported the rise in the prices of kerosene and LPG.

Madam, many instances have been given before you. It has also been pointed out as to how the hon. Chair in the previous occasions had given the permission to discuss this issue under the Adjournment Motion.

Petrol has already been decontrolled, and the would-be decontrol of diesel is a major policy issue, which has been taken by the Government outside the House.

Many learned hon. Members are here. Both the hon. Home Minister and the hon. Minister of Human Resource Development are very learned and very good parliamentarians. Academically also, they are very sound. Is it not desirable on the part of the Government at present that they should bring about all these issues for discussion in the House before declaring any decontrolling process? Why should they not discuss all these policy matters inside the House? I could not cite immediately but there have been precedents that on earlier occasions such things were discussed in the House. What is the harm if such issues are discussed and debated inside the House? They have the majority; they can pass whatever they like. Their supporting parties are also present here. What is the harm if these decisions are taken inside the House? The House should have been taken into confidence.

Therefore, I would submit that this is certainly an urgent issue and it is a recent occurrence also. It conforms to the provisions in the Rules of Procedure and Conduct of Business of the House. Madam, you kindly admit this Adjournment Motion. It should be discussed immediately because it concerns the *aam aadmi*.

In the name of *aam aadmi*, the Food Security Bill is being thought of and being brought before this House very soon. Why? It is because they want to give protection to the *aam aadmi* and they want to help the *aam aadmi*. But by this increase in the price of kerosene, are they protecting the *aam aadmi*?

Therefore, in view of the importance it has on the *aam aadmi* as well as the people of the country at large, I hope, you will certainly agree with the Opposition that this Adjournment Motion is admitted by the Chair and discussed immediately.

SHRI T.R. BAALU (SRIPERUMBUDUR): Madam Speaker, we are in the 63<sup>rd</sup> year of our Independence and in the 15<sup>th</sup> Lok Sabha. The House is discussing the issue of price rise, which is the most important subject as far as the common man is concerned; and whether it should be discussed under the Adjournment Motion or under Rule 193.

This House has seen many Members of Parliament for the past 60 years. During the tenure of which Government the Opposition has not taken the chance of discussing the issue of price rise? Each and every Government has faced the same type of discussion, particularly the issue of price rise. No Session of Parliament has escaped from discussing this particular issue. But at the same time, under what rule it should be taken up -- whether it should be under Rule 193 or in the form of Adjournment Motion.

Here, the point of issue is that the Treasury Bench says: "Okay, we can have a discussion on this issue under Rule 193." But the Opposition says that it has to be discussed only in the form of Adjournment Motion. The Opposition never loses a chance. Whenever the first chance occurs, they would fish out of the troubled water, especially my friends, hon. Advaniji, Sushmaji, Dr. Murli Manohar Joshiji, Rajnath Singhji, who were all my Cabinet colleagues once. When I was there along with them in the Treasury Benches, the Congress took up many chances to discuss about the price rise. At the same time, under what rule it was done. But here, they are trying to destabilize the Government. But that cannot be; that will not be; and that will never be, unless the constituents of Congress are suffering otherwise.

Madam, my only question to the Opposition is that if they have the guts to raise any issue against this Government headed by Dr. Manmohan Singh and duly guided by Madam Gandhiji and Dr. Kalaignarji, let them come out with the No-Confidence Motion. Will they come out? They cannot. You would not like to because you cannot pass the No-Confidence Motion. So, there is no other way. I am sorry it cannot be under Adjournment Motion. We cannot leave this Government to fall.

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): Madam Speaker, I was listening to the observations made by the Leader of the Opposition and a large number of other distinguished colleagues.

I am not going to the merits of the issue because the issue will be debated as it was debated last time, on earlier occasion. This time also it will be debated and in the course of the debate, definitely we will have the opportunity of discussing it from various aspects. All aspects of the issue will be debated, discussed, including remedial measures, and surely as a member of the Government, I would be interested to have any constructive suggestion from my colleagues sitting this side or that side, which can help us to implement and have the moderating impact on prices. That is always welcome. I would like to welcome that.

Here I am keeping my observations just on the admissibility of the Adjournment Motion. Madam, the final decision will be taken by you, and whatever decision you take, it is binding us, and it is binding all of us. There are no two opinions in it. But it is good and I appreciate that you have allowed the Members to express their views why Adjournment Motion should be admitted.

But I am sorry most of the Members, instead of speaking why it should be admitted only under the Adjournment Motion, have spread the scope of the discussion much wider. I am not going to widen this scope. Whether by enhancing the kerosene price from Rs.2 to Rs.9, you prevent the housewives from more difficulty or increasing it from Rs.9 to Rs.12 is going to be the disaster--I am not going into that aspect.

I am also not going to that aspect as one of my learned Members gave a long discourse as if for the first time it has

been done that the petroleum products have been decontrolled and have been placed under market-related conditions. He completely forgot that he was very much a Member of this House or that House that we introduced it in June, 2004. Before that, during the entire regime of the NDA, it was decontrolled. I am not going to that aspect. I am reserving that for discussion later on.

My limited point is that I have some reservations about admissibility of this discussion under Adjournment Motion. Why I am saying so? I have the book of the Speaker's Rule. It starts from Central Assembly Debate, 4<sup>th</sup> September, 1928. I am not going from 1928 to 2010. Surely, I am not wasting the time of the House. I will quote only three rulings, one given by no less a person than the then President of the Central Assembly, Vithalbhai Patel that the Speaker was called so in those days that, 'it may be definite, it may be of public importance, held the President, in proper case, to disallow such a Motion.' Why should it be disallowed? It must be related to the functioning of the Government.

Thereafter, there are two other rulings – one given on 31<sup>st</sup> May 1957 by Shri M.A. Ayyangar where he said that unless the Central Government fails to discharge its duties enjoined upon it by Constitution or by law, it will not attract the Adjournment Motion. This was stated by Shri M.A. Ayyangar. It is available in the Lok Sabha Debates of 31<sup>st</sup> May 1957. In another ruling, which is not so contemporary, the same was reiterated by Dr. G.S. Dhillon on 24<sup>th</sup> May 1971.

The decision may be extremely undesirable, the decision may be extremely hard and difficult. I know whenever a decision is to be taken to enhance the price of essential commodities, the decision maker does not get any sadistic pleasure of doing it. There are certain compulsions. As they had to increase the kerosene price from Rs.2 to Rs.9, I had the compulsion because they had to buy petroleum crude per gallon at the rate of 36 to 40 dollars, today we have to buy it at 67 to 76 dollars. But that is the merit of the debate; I am not going into that aspect. What I am saying is that there has not been any failure of the Government, enjoined and entrusted on the Government by law and the Constitution. The decision is being taken, the financial discipline is being restored, the normal roles of economy are allowed to be performed, because that is the duty and responsibility of the Government.

No doubt, the decision was difficult and harsh. It will cause sufferings to the people. We would like to discuss it in detail, but under which Motion? Yes, Rs.50,000 crore subsidy is still there. Despite this, surely it will not be Rs.1.5 lakh crores. That cannot be afforded. But, those are the issues of merit. The short question is whether this discussion can be admitted under the Adjournment Motion. I have no problem in having discussion as we discussed earlier.

Incidentally, somebody has asked as to what has happened to the food inflation. When I am talking to you today, it has come down from 21.4 per cent in December to 12.8 per cent. Therefore, it is not that there has not been any impact. ....(Interruptions) Yes, you know that. He was talking of petroleum prices, making song and dance. I have imposed petroleum duty to the extent of Rs.1,08,000 crore. All the States, including the State from where Shri Basu Deb Acharia and Shri Gurudas Dasgupta come, have imposed petroleum duties to the extent of Rs.72,000 crore. I have received the fact from you sitting on that side of imposing duty and collecting Rs.1,08,000 crore. But from there, I have given you Rs.24,000 crore to the States. The net gain is, the States get Rs.96,000 crore and the Centre gets Rs.84,000 crore and Centre gets all the *gaalis* from the MPs and the great protagonists of the State leaders. But I am not going into the merits of the case. This will be debated.

My most respectful submission is under the rule and under the convention. I will conclude my observations by telling about one of the monumental rulings given by no less a person than Shri Mavalankar even when the first Lok Sabha was not constituted. It was in the month of March, 1950 when the Provisional Parliament was there it had been suggested that we cannot look upon the Adjournment Motion as a normal device for raising discussion on any important matter. Whatsoever the important matter may be, whatsoever gravity it may have, an Adjournment Motion must be followed by the rule prescribed under it. In respect of the broad spectrum of consensus, most respectfully I will like to submit, Madam Speaker, that the same distinguished Speaker gave a ruling that even if an overwhelming majority of the Members of the House desire to discuss a particular subject which is not permitted by the rules of the House, despite the overwhelming majority, that cannot be discussed. Therefore, my most respectful submission is that this cannot be discussed under the Adjournment Motion.

**श्री लालू प्रसाद :** हम एक कलैरीफिकेशन आपसे चाहते हैं कि एकाएक क्यों प्राइज़ रइज़ हुआ है? जब संसद का चुनाव होता है तो आप और ये सब्सिडी देते हैं, लेकिन अब सब्सिडी हटा दी है, जिसके कारण दाम बढ़े हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आप यह सब्सिडी भविष्य में जब चुनाव आएं, तब फिर से देंगे?

**श्री पूणव मुखर्जी :** अभी भी सब्सिडी दे रहे हैं।

**श्री लालू प्रसाद :** आप लोग सब्सिडी देकर के पावर में आए हैं। अब पावर में आ गए हैं तो आपको लग रहा है कि महंगाई हो गई है। ये भी सब्सिडी देकर बैठे और आप भी सब्सिडी देकर आए हैं। क्या आप फिर से सब्सिडी देंगे, जब चुनाव आएगा?

श्री प्रणव मुखर्जी : मैं बता रहा हूँ। Just look at the Budget paper. This year itself, in the Budget which you have approved, I am giving Rs.1.2 lakh crore subsidy for fertilizer, for petroleum products and on food.

Thank you Madam Speaker for giving me the opportunity.

...(Interruptions)

अध्यक्ष महोदया : आप लोग बैठ जाइए। I have heard the views of all the hon. Members who have just told us why the Adjournment Motion should be accepted and why it should not be accepted. I will give my ruling after lunch. Let me think about it.

Meanwhile, Papers may be laid.

वेदः।(व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद : महोदया, यह ठीक नहीं हुआ है। हम लोग बहिष्कार करते हैं।...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : हम भी बहिष्कार करते हैं।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अभी हमने रूलिंग नहीं दी है।

वेदः।(व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद : ठीक है, जब आप रूलिंग देंगी, उसके बाद जाएंगे।

---